दिनांक 14.12.09 को सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग की अध्यक्षता में धनबाद समाहरणालय सभागार कक्ष में धनबाद, गिरिडीह एवं बोकारो जिलों में क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारियों को कृषि संबंधित योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने एवं चालू योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

बैठक में उपस्थित पदाधिकारीयों के हस्ताक्षर विवरणी

1 सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग
2 उप विकास आयुक्त, धनबाद।
3 कृषि निदेशक झारखण्ड राँची।
4 निदेशक, समेति झारखण्ड राँची।
5 संयुक्त कृषि निदेशक, हजारीबाग।
6 परियोजना निदेशक, मुख्य मंत्री किसान खुशहाली योजना झारखण्ड राँची।
7 सहायक निदेशक सर्वे, राँची।
8 कार्यक्रम समन्वयन के0वी0के0, बोकारो।
9 कार्यक्रम समन्वयन के0वी0के0, धनबाद।
10 कार्यक्रम समन्वयन के0वी0के0,गिरिडीह।
11 जिला कृषि पदाधिकारी, धनबाद।
12 जिला कृषि पदाधिकारी, गिरिडीह।
13 जिला प्र0 प्रबंधक, बलियापुर।
14 कनीय पौधा संरक्षण पदा0, धनबाद।
15 अनु0 कृषि पदाधिकारी, धनबाद।
16 प्र0 कृषि पदाधिकारी, डुमरी, गिरिडीह।
17 प्रभारी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, गिरिडीह।
18 प्रभारी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, पीरटांड़
19 जिला योजना एवं मुल्यांकन पदाधिकारी, धनबाद।
20 सहायक कृषि पदाधिकारी, धनबाद।
21 सांख्यिकी सहायक
22 प्र0 कृषि पदाधिकारी, झरिया।
23 प्रभारी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, निरसा।
24 प्रभारी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, बाघमारा।
25 प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, गोविन्दपुर।
26 प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, बलियापुर।
27 प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, चंदनकियारी, बोकारो।
28 प्रखंड कृषि पदाधिकारी, चास।
29 प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जरिडीह।
30 सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी, धनबाद।
31 भूमि संरक्षण पदाधिकारी, धनबाद।
32 सहायक निदेशक(सर्वे), हजारीबाग।
33 Field Supervisor, Giridih.
34 जनसेवक, बेरमो, (बोकारो)
35 जनसेवक, कसमाट, (बोकारो)
36 जनसेवक, नावडीह, (बोकारो)

37 जनसेवक, गोमिया, (बोकारो)
38 भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी, बोकारो।
39 सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी, चंदनकियारी।
40 जिला उद्यान पदाधिकारी, पलामू।
41 प्र0 कृषि पदाधिकारी, चास।
42 प्र0प्र0 कृषि पदाधिकारी, तिसरी (गिरिडीह)
43 प्र0 कृषि पदाधिकारी, गाण्डेय(गिरिडीह)
44 भूमि संरक्षण पदाधिकारी, गिरिडीह।
45 प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, तोपचांची, (धनबाद)
46 प्रक्षेत्र अधिक्षक, गिरिडीह।
47 Assistant Director Agriculture cum Deputy Controller, wt. & Measure, Hazaribagh.
48 Inspector of weights & Measures, Chas Bokaro
49 पौ0सं0पर्य0(प्रति0) कृ0नि0, राँची
50 माप एवं तौल धनबाद (कृषि विभाग)
51 Inspector of weights & Measures, Giridih.
52 जनसेवक धनबाद प्रखण्ड

सर्वप्रथम जिला कृषि पदाधिकारी, धनबाद द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। कृषि निदेशक द्वारा बैठक के उद्देश्य के बारे में कहा गया कि मुख्यालय एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों के बीच संवादहीनता को दूर करना, राज्य में कृषि विभागांतर्गत चल रहे विभिन्न केन्द्रचालित तथा राज्य योजना की जानकारी देकर क्षेत्रीय पदाधिकारियों को योजना के प्रति जागृत करना इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है। वैसे पदाधिकारी जिन्हें आज की बैठक में उपस्थित होना था और वे अनुपस्थित हैं के सभी संबंधित नियंत्रित पदाधिकारी को उनके आज एक दिन के अनुपस्थिति फलस्वरूप एक दिन का वेतन कटौती कर वेतन भुगतान करने का निदेश कृषि निदेशक द्वारा दिया गया। राज्य में कृषि विभागान्तर्गत चल रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए, इसी कम में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी की गई :–

01 सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्रम फोर एक्सटेंशन रिफोर्मस :–

विभिन्न क्षेत्रीय पदाधिकारियों को A.T.M.A. के प्रति जागरूक करने हेतु निदेशक, समेति द्वारा Extension reform से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न किये गये जैसे– S.A.M.E.T.I./ A.T.M.A./ B.T.T./ F.AC./ F.I.A.C./ G.B./ C.I.G./ W.U.G./ S.H.G./ F.I.G./ S.R.E.P. क्या है, इन संस्थाओं का गठन हुआ है या नहीं?, यह कैसे काम करता है?/ इसके गठन प्रकिया क्या है?, इनकी बैठक कितनें दिनों के अंतराल पर होती है? आदि। इनका पूर्ण नाम इस प्रकार बतलाया गया –

➢ S.A.M.E.T.I.– राज्य स्तरीय कृषि प्रबंधन, प्रसार एवं प्रशिक्षण केन्द्र

7033
29/12/03

- A.T.M.A. – कृषि तकनीक प्रबंधन एजेन्सी
- B.T.T. – प्रखंड तकनीकी दल
- F.A.C. – कृषि सलाहकार समिति
- F.I.A.C. – कृषि सूचना सलाहकार समिति
- G.B. – गर्वनिंग बोर्ड
- A.M.C. – आत्मा प्रबंधन समिति
- C.I.G. – कमोडिटी इन्टेरेस्ट ग्रूप
- F.I.G. – फारर्मस इन्टरेष्ट ग्रूप
- W.U.G. – वाटर यूजरर्स ग्रूप
- S.H.G. – स्वंय सहायता समूह
- S.R.E.P. – Strategic Research Extention Plan

- B.T.T. – प्रखंड तकनीकी दल का गठन प्रखंड के तकनीकी लाईन पदाधिकारी/ पर्यवेक्षक की मदद से बनती है। सदस्यों की संख्या उतनी होगी जितने प्रखंड में तकनीकी लाईन पदाधिकारी/ पर्यवेक्षक की संख्या उपलब्ध होगी। इसके convener सबसे वरीय सदस्य या आपसी सहमति से चयनित सदस्य होगें। प्रखंड कृषि पदाधिकारी इससे सकिय भूमिका का निर्वहन करेंगे।
- F.A.C. – कृषक सलाहकार समिति का गठन C.I.G. के प्रतिनिधियों के माध्यम से की जायेगी, जिससे न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 20 सदस्यों को शामिल किया जा सकेगा। प्रत्येक सदस्य किसी न किसी इन्टरप्राइजेज के प्रतिनिधि होंगे तथा एक इन्टरप्राइजेज के अधिकतम 5 सदस्य हो सकते हैं।
- F.I.A.C. – प्रखंड तकनीकी दल एवं कृषक सलाहकार समिति के द्वारा संयुक्त रूप से प्रखंड सूचना सलाहकार समिति का गठन किया जायेगा तथा यह समिति कृषक सूचना एवं सलाहकार केन्द्र पर कार्यरूत रहेगी।

B.T.T./ F.A.C/ F.I.A.C./ A.M.C. की बैठक कम से कम प्रत्येक माह में होगी तथा G.B. की बैठक दो माह में एक बार अवश्य होगी। आवश्यकतानुसार निर्धारित प्रकिया के अनुसार समयपूर्व बैठक बुलाई जा सकती है। K.V.K. एवं A.T.M.A. के सप्ताहिक अंतःकिया पर बल दिया गया। पावर प्वांइट प्रजेंन्टेशन के माध्यम से निदेशक, समेति द्वारा इस योजना की विस्तार से जानकारी दी गई।

23/12/13

कृषकों की दशा एवं दिशा सुधार हेतु इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसार कार्यक्रम में संस्थागत सुधार एवं कार्यप्रणाली में सुधार लाकर अंततः कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना है। योजना निर्माण तथा कियांन्वयन में स्थानीयता को प्राथमिकता देना, निजी क्षेत्र एवं महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना, अन्तरविभागीय अभिसरण(convergence of department) ई0मेल द्वारा प्रतिवेदन भेजना, प्रसार कार्य में सूचना प्रौद्योगिकी (I.C.T.) का आधुनिक प्रयोग करना आदि इस योजना की मुख्य विशेषतायें हैं। आत्मा के विभिन्न कियाकलाप एवं महत्वपूर्ण राज्यादेश की जानकारी हेतु समेति, झारखंड के वेबसाईट www.sametijharkhand.org को देखने हेतु सभी आत्मा पी0डी0 से अनुरोध किया गया। समेति के संबंधित प्रतिवेदन को निम्नांकित ई0मेल पते पर नियमित रूप से निर्धारित प्रपत्र में भेजेने का अनुरोध किया गया –

sametijharkhand@redifmail.com

nfsmjharkhand@gmail.com

rkvyjharkhand@gmail.com

कृषि निदेशक द्वारा 30.12.2009 तक सभी पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से B.T.T./ F.AC. का गठन एवं इसका Notification कर इसकी गठन संबंधी सूचना, सदस्यों की सूची दूरभाष संख्या के साथ निदेशक, समेति को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। समेति द्वारा आत्मा को उपलब्ध कराये गये राशि/ निधि कि विभिन्न cafeteria of activities के कार्यान्वयन की समीक्षा की गयी। स्पष्ट किया गया कि अभी तक उपस्थित तीनों जिलों के द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा सकी है। बताया गया कि यह राशि special rabi compaign के मद्देनजर दी गयी है अतः इसे शीघ्र उपयोग किया जाय तथा K.V.K. के द्वारा कार्यान्वित की जानेवाली activities की राशि अविलंब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। K.V.K. से राशि से किस तकनीक का assessment/ Refinment किया जाना है, प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ समर्पित किया जाना है, प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ समर्पित करने का निदेश दिया गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों को किसान कॉल नम्बर 1551 एवं किसानों के ऋण संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु राज्य स्तर पर हेल्प डेस्क दूरभाष संख्या 0651–2217223 की जानकारी दी गई।

02 मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना(M.K.K.Y.) :–

सर्वप्रथम कृषि निदेशक द्वारा मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना के संबंध में सामान्य जानकारियाँ दी गई तथा M.K.K.Y. के परियोजना निदेशक, श्री एम0एम0ए0शिवा

7033
29/12/09

का परिचय उनके द्वारा किया गया। तदुपरांत श्री शिवा द्वारा पावर प्वांइट प्रजेंन्टेशन के द्वारा इस योजना के मुख्य बिन्दुओं, योजना के घटकों, उनके कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शन तथा अन्तरविभागीय अभिसरण(convergence) किया जाए, इसपर प्रकाश डाला गया। साथ ही संकुल के चयन, बेसलाईन सर्वे, कृषक मित्रों के कार्य व जिला संचालन समिति का गठन व दायित्व, जिला कार्यान्वयन समिति के दायित्व, cost norms आदि के संबंध में विस्तार से बताया गया।

कृषि निदेशक द्वारा संकुलों की गतिविधियों, K.C.C. का वितरण आदि के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई। श्री शिवा द्वारा K.C.C. के संबंध में विकास आयुक्त द्वारा आत्मा के परियोजना निदेशकों को सम्बोधित पत्र तथा सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा परियोजना निदेशकों का ज्ञापित पत्र के हवाले से सभी संकुलो को K.C.C. से शत प्रतिशत आच्छादित करने का आह्वान किया गया।

"मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना" अंतर्गत आवंटित राशि एवं अबतक की खर्च की राशि की विवरणी इस प्रकार है –

क0सं0	जिला का नाम	आवंटित राशि	व्यय(लाख रू0 में)
1	2	3	4
1	धनबाद	58.18	2.26
2	बोकारो	58.18	46.44
3	गिरिडीह	58.18	14.24

सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा धनबाद तथा गिरिडीह के MKKY के खराब प्रर्दशन पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा एक माह के अंदर कार्य पूर्ण कर राशि के उचित तरीके से व्यय करने का निदेश दिया गया। साथ ही प्रत्येक MKKY संकुल में एक कृषक पाठशाला खोलने का निदेश दिया गया। संकुलों को विकास की इकाई बनाकर यथायोग्य सभी योजनाओं के अभिसरण(convergence) इन संकुलो में करने हेतु निदेशित किया गया ताकि ये संकुल आदर्श(Model) संकलों के रूप में विकसित हो सके। श्री रामेश्वर प्रसाद, ASCO तोपचाँची को D.A.O. धनबाद के मातहत मुख्यमंत्री खुशहाली योजना के Project manager के रूप में कार्य देखने हेतु प्रतिनियुक्त करने का आदेश सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा दिया गया। साथ ही तदुनुसार कार्यालय आदेश निर्गत करने हेतु कृषि निदेशक को उनके द्वारा निदेश दिया गया।

सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखंड द्वारा कहा गया कि भूमिहीन किसान भी समाज के अभिन्न अंग है, उनके विकास के बिना समाज का समग्र विकास कदापि

संभव नहीं है। अतः विभिन्न योजनाओं में उनकी सहभागिता को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।

सचिव महोदय द्वारा सभी जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अबतक किसानों द्वारा K.C.C. से संबंधित जितने भी आवेदन विभिन्न बैंको को तिथिवार प्राप्त हुआ है की सूची तथा अबतक की कार्रवाई से निदेशालय को 07.01.2010 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय, ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके। साथ ही एम0के0के0वाई0 में वैसे यंत्रों का प्रावधान करें जो आर0के0के0वाई0 एवं एन0एफ0एस0एम0 में नहीं है, जैसे सीड–स्टोरेज बीन। सचिव महोदय द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि इस योजना में सिंचाई पुर्नस्थापन की बात कही गई है न कि नये सिरे से सिंचाई व्यवस्था की। अतः खर्च की गई राशि राज्यादेश में दिए गए निदेशानुसार करना सुनिश्चित करें।

जिला कृषि पदाधिकारी, धनबाद द्वारा बताया गया कि अबतक K.C.C. के लक्ष्य–9180 के विरूद्व विभिन्न बैंको द्वारा 2294 स्वीकृत हुआ एवं इनमें से 2105 का वितरण हो गया है।

सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि निर्धारित प्रपत्र हार्ड कॉपी के साथ नियमित रूप से M.M.K.Y. का प्रतिवेदन निम्नांकित ई0मेल पते पर भेजें:–

1-amshiva012@gmail.com

2-amshiva_012@yahoo.com

3-mmkyjharkhand@rediffmail.com

03 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा वैकल्पिक फसल योजना से उपलब्ध कराये गये बीज के वितरण की समीक्षा

कृषि निदेशक के द्वारा उपस्थित संयुक्त कृषि निदेशक तथा जिला कृषि पदाधिकारी से रबी मौसम हेतु फसलवार कितनी बीज की प्राप्ति की गई है के संबंध में समीक्षा की गई। कृषि निदेशक ने सभी जिला कृषि पदाधिकारियों से ये जानना चाहा कि प्रखंड में हो रहे बीज वितरण की क्या प्रकिया अपनाई गई तथा बंटे बीजों का सत्यापन किया गया था या नहीं ?, खेतों में लगे बीजों की अंकुरण की क्या स्थिति है? यह भी निदेश दिया कि सभी जिला कृषि पदाधिकारी एवं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सह प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी किस–किस ग्रुप में किन–किन बीजों का वितरण किया है की सूची अलग से धारित कर निदेशालय में भेजा जाए ताकि क्षेत्र भ्रमण में इसकी जाँच की जा सके। क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा किसानों के बीच वितरित बीज के अंकुरण की स्थिति अच्छी बताई गई।

जिला कृषि पदाधिकारी, बोकारो द्वारा जिला में विभिन्न अनाज के बीज वितरण की स्थिति क्वींटल में इस प्रकार बताई गई–

गेहूँ	सरसों	चना	मटर
1254.8	325.2	160	30

कृषि निदेशक द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय पदाधिकारियों से कई प्रश्न भी किए गयें जैसे– मसाले के अंतर्गत कौन–कौन से फसल आते हैं, तेलहन एवं दलहन बीज से कितने दिनों तक फसल की उत्पादन ली जा सकती है। जवाब संतोषजनक न मिलने पर बताया गया कि तेलहन एवं दलहन बीज से कमशः 6 वर्ष एवं 2 वर्ष तक फसल की उत्पादन ली जा सकती है, लेकिन कुल उत्पादन में कमशः कमी आती जाती है।

04 खरीफ में आपूर्त्ति की गई धान एवं अन्य बीज का भुगतान

सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग झारखंड द्वारा खरीफ में आपूर्त्ति की गई धान एवं अन्य बीज का भुगतान संबंधित समीक्षा की गई। सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि जिस बिल का मानक प्रतिवेदन प्राप्त है, उसका शत प्रतिशत भुगतान अविलंब कर दिया जाए एवं जिनका अमानक एवं मानक दोनों प्रकार का प्रतिवेदन है, उसका भुगतान कृषि निदेशक से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात ही की जाए। अमानक प्रतिवेदन की स्थिति में बीज का भुगतान न की जाय। सभी भूमि संरक्षण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिला कृषि पदाधिकारी से बीज से प्राप्त कृषक अंशदान को लाभूकों की सूची सहित जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध करा दें तथा इसकी एक प्रति निदेशालय को भी दें। किसानों की स्थानीयता की पहचान हेतु सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि उनके K.C.C. & E.P.I.C. साक्ष्य की मदद ली जा सकती है।

05 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

निदेशक, समेति द्वारा R.K.V.Y. के बारे में विस्तार से बताते हुये कहा गया कि यह एक फैलासीप योजना है। ग्रमीण विकास मे जो स्थान N.R.E.G.A. का है, वही स्थान कृषि विभाग में R.K.V.Y. का है। G.D.P. में कृषि के लगातार घटते योगदान को बढ़ाने हेतु यह योजना प्रासंगिक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इसका लक्ष्य 4 प्रतिशत कृषि वृद्वि दर प्राप्त करना रखा गया है। Yield gap को कम करना ताकि उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो सके इस योजना का महत्वपूर्ण पहलू है। Convergence की महत्ता पर बल देते हुए सभी ATMA P.D. को निदेश दिया गया कि K.V.K., Soil conservation., Water shed, Plant protection, Micrio lift से संबंधित पदाधिकारी सप्ताहिक बैठक नियमित करें। R.K.V.Y. Stream-2 के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में दी जाने वाली दो F.F.S. की विस्तृत जानकारी दी गई तथा इसी कम में F.S.(कृषक पाठशाला) एवं F.F.S.(कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला) में अंतर की भी जानकारी पावर प्वांइट

प्रजेन्टेशन के माध्यम से दी गई। कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, धनबाद ने बतलाया कि दिनांक 20.12.2009 को डी0डी0सी0 से F.F.S. का उद्घाटन करवायेगें। कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि F.F.S. को सुचारू रूप से चलावें तथा इसका documentation सही रूप से करें। अगर कर्मचारी की कमी है तो के0भी0के0, आत्मा पी0डी0, मृदा संरक्षण के पदाधिकारियों से सर्म्पक कर उन्हें लक्ष्य को विभाजित करने की जिम्मेदारी दें तथा तदनुसार राशि उपलब्ध पैसे को उन्हें ट्रांसफर करे दें। कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान देने हेतु विशेष निदेश दिया गया। इसी कम में R.K.V.Y. के Expenditure report को 30.12.2009 तक अनिवार्य रूप से भेजने का निदेश दिया गया ताकि अतिरिक्त आवंटन दिया जा सके। R.K.V.Y. stream –II से धनबाद जिला में बलियापुर, अलखडीहा, बोकारो कसमार तथा गिरीडीह के जमुआ प्रक्षेत्र का विकास एवं बीज विकास किये जाने हेतु ली गई योजना के प्रगति की समीक्षा की गयी है। इस मद में 20 लाख प्रति प्रक्षेत्र आवंटन भी उपलब्ध किये जाने की जानकारी दी गयी तथा कृषि निदेशक के अध्यक्षता मे बैठक में तय किये गये methodology तथा प्रतिनियुक्त विभागीय अभियंता की जानकारी दी गयी। आत्मा पी0डी0 ने बताया प्रक्कलन तैयार करने संबधी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस माह तक राशि व्यय कर प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया ताकि पुनः राशि आवंटित की जा सके। R.K.V.Y. stream –II. से वर्त्तमान मे ली जानेवाली योजना यथा – बिरसा पक्का चेक डैम, लूज बोल्डर चेकडेम तथा सूक्ष्म उद्वह सिंचाई योजना, आम्लिक मिट्टी सुधार योजना, कृषि यंत्रों(कोनोवीडर एवं मर्क्कर, जीरो टिल सीडड्रिल, पल्स/ ऑइलसीड सीड ड्रील/ राइस रवर sheller इत्यादि J.S.A.C.(Jharkhand Space Application Centre) तथा B.A.U. द्वारा लिये गये अनुसंधान एवं विकास संबंधी योजना आदि की सविस्तार जानकारी दी गयी।

वर्ष 2008–09 के प्रगति की समीक्षा के कम मे स्पष्ट हुआ कि गिरिडीह की प्रगति अत्यंत असंतोषजनक, बोकारो की प्रगति संतोषजनक पायी गयी। धनबाद को इस संबंध में तेजी से प्रगति लाकर लक्ष्य हासिल करने को निदेश दिया गया। इस योजना के अंतर्गत प्रगतिशील कृषक समूहों के लिए माइको लिफ्ट एरिगेशन सिस्टम विकास कार्यकम, पावर टिलर का वितरण, वर्मी कम्पोष्ट यूनिट की स्थापना, वर्मी कम्पोष्ट यूनिट की स्थापना हेतु प्रशिक्षण, मिट्टी जॉच हेतु स्वॉयल हेल्थ कार्ड का निर्माण, प्रसार कार्यकर्ता एवं कृषकों के क्षमता विकास प्रशिक्षण, बेंच मार्क सर्वे एवं किसान मेले पर समीक्षा हई।

विभागीय सचिव एवं निदेशक ने इस बात पर जोर दिया कि बड़ें किसानों को लाभुकों की सूची में अनिवार्य रूप से शामिल करें, ताकि वे उत्पादन वृद्वि में सहायक हो सके। शरद धान कहॉ–कहॉ होता है इसकी जानकारी प्राप्तकर विस्तृत विज्ञापन निकालने का भी निदेश

दिया गया। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि गर्मा मूंग/ तिल/ मक्का/ धान के लिए कितने बीज की आवश्यकता है, इसकी सूची बनाकर विभाग को अवगत करावें ताकि ससमय बीज की उपलब्धता कराई जा सके।

06

उप कृषि निदेशक(उद्यान) राँची द्वारा राज्य उद्यान के स्तर से विभिन्ना योजनओं की विस्तार से जानकारी दी।

- भारत सरकार द्वारा **माईक्रो इरीगेशन** की योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। ड्रीप स्प्रींलकर, प्रत्यक्षण के संबंध में विभिन्न अवयवों के बारे में भी बैठक के दौरान चर्चा की गई तथा प्रशिक्षण संबंधी कृषकों का चयन करने एवं P.F.D.C. के तहत कृषकों को प्रशिक्षण दिलाने हेतु बी0ए0यू0 के अभियंत्रण शाखा से सम्पर्क स्थापित करने को भी कहा गया एवं सुक्ष्म सिंचाई की मार्गदर्शिका भी संबंधित पदाधिकारी को उपलब्ध कराया गया। इस योजना का अभिसरण एम0एम0के0के0वाई0, आत्मा, फार्म स्कूल एवं वाटर सेड एवं आर0के0वी0वाई0 अंतर्गत लिफ्ट इरिगेशन, एन0एच0एम0 में भी कराने का आवश्यक निदेश दिया गया।
- कंद फसल योजना(आलू, सकरकंद) के कार्यान्वित करने हेतु जिलावार लक्ष्य के संबंध में संबंधित पदाधिकारी को जानकारी दी गई।
- नई तकनीक की प्रोत्साहन की योजना के अंतर्गत संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी को योजना कार्यान्वयन हेतु विस्तृत जानकारी दी गई।
- नन एन0एच0एम0 जिला, आर0के0भी0वाई0 योजना अंतर्गत उद्यान के विभिन्न गतिविधियों जैसे ग्राफ्टस गुटी उत्पादन, नर्सरी स्थापन, केले की खेती, मिर्चा, सब्जी एवं कंद फसल(ओल, हल्दी, अदरक) के संबंध में योजना के विभिन्न पहलू एवं जिला के लक्ष्य के संबंध में बैठक के दौरान व्यवासायिक पहलुओं के संबंध में जानकारी दी गई एवं विभाग के अन्य योजना के साथ अभिसरण करने पर विशेष बल दिया गया। उप कृषि निदेशक(उद्यान) राँची को सचिव के स्तर से निदेश दिया गया कि पलांडू में सभी जिला उद्यान पदाधिकारियों एवं प्रगतिशील कृषकों की बैठक हेतु समाचार पत्र में विज्ञापन निकालें एवं उक्त बैठक में कृषि निदेशक को भी आमंत्रित करें।
- जि0कृ0प0, जि0उ0प0 एवं सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि ए0सी0 बिल के विरूद्व डी0सी बिल तैयार कर महालेखाकार, झारखंड को समर्पित करते हुए इसे लम्बित सूची से हटाने जाने संबंधी कार्रवाई करेगें।

- सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि .ड्रिप सिंचाई में जिस संस्था ने अच्छा कार्य नहीं किया है, उसे ब्लैक लिस्ट कर दें। साथ ही साथ प्रगतिशील किसानों को ग्रुप में प्रशिक्षण देने हेतु अग्रतर कार्रवाई की जाय।

07

निदेशक, समेति ने भारत सरकार द्वारा प्रायोजित National Soil Health से संबंधित योजना N.P.M.S.F(National Project on Management of Soil Health and Fertility) पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला तथा बतलाया गया कि वर्तमान में राज्य में 8 मृदा जॉच प्रयोगशाला जो कार्यरत है उसकी सुदृढ़ीकरण हेतु प्रत्येक प्रयोगशाला को 10–10 लाख प्राप्त होना है जिसमें अभी 5–5 लाख प्राप्त हो चुका है। इसमें भी अग्रतर कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा 8 नये मृदा जॉच प्रयोगशाला स्थापना K.V.K में करने की योजना है, जिसे विस्तारपूर्वक बतलाया गया। Atomic Absorption Spectro Photometer मिट्टी के माइक्रो न्यूट्रिइन्ट्स की भी जॉच करने में सक्षम है। इस त्वरित गति प्रदान करने हेतु K.V.K एवं D.A.O. को परस्पर सम्पर्क करने का निदेश दिया गया।

इस योजना के तहत मिट्टी जॉच प्रयोगशाला, गिरिडीह को दिये गये चार कार्य अवयवों यथा F.L.D., Promotion of organic manure, Micro nutrient, soil amendment तथा K.V.K को दिये गये कार्य अवयवों यथा प्रत्यक्षण एवं किसान प्रशिक्षण के कार्यान्वयन की समीक्षा की गयी। प्रगति असंतोषजनक पाई गयी । डेढ़ माह पूर्व राशि उपलब्ध कराये जानी के बाद भी प्रगति अपेक्षित नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिला कृषि पदाधिकारी जो सहायक मिट्टी रसायनज्ञ के भी प्रभार में हैं तथा Programme coordinator से शीघ्र प्रगति लाने का आश्वासन दिया।

08

वाटर सेड के समीक्षा के कम में निम्न प्रकार की जानकारी संबंधित पदाधिकारी द्वारा दी गई –

क्रo सं०	जिला	वाटर सेड से प्राप्त		जिला से प्राप्त	
		10वी० पंचवर्षीय योजना में	11वी० पंचवर्षीय योजना में	10वी० पंचवर्षीय योजना में	11वी० पंचवर्षीय योजना में
1	2	3	4	5	6
1	गिरिडीह	9	–	–	20
2	बोकारो	1	10	–	–
3	धनबाद	–	–	–	–

ललाट, हजारी, अंजली, वंदना का सीड उत्पादन SRI विधि द्वारा करने तथा पूराने जलछादन में एक–एक F.S. या F.F.S. प्रारंभ कराने का निदेश सचिव महोदय द्वारा दिया गया।

09

जिन पदाधिकारियों का स्थांनातरण हो चुका है और अबतक वे स्थानांतरित स्थान पर योगदान नहीं दियें हैं, को 24.12.2009 को अनिवार्य रूप से योगदान देने का निदेश कृषि निदेशक द्वारा दिया गया।

गिरिडीह के जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रखंड कृषि पदाधिकारी श्री बाबू लाल पासवान द्वारा किसानों के हित के साथ घोखाघड़ी करने की सूचना देने पर सचिव महोदय द्वारा गिरिडीह के जिला कृषि पदाधिकारी को प्रखंड कृषि पदाधिकारी श्री बाबू लाल पासवान के विरूद्व F.I.R. करने का निदेश दिया गया।

कृषि निदेशक, झारखंड द्वारा संयुक्त कृषि निदेशक को क्षेत्रांतर्गत विभिन्न कार्यालयों में फाइल के नामाकरण एवं उचित संधारण हेतु निदेश दिया गया। लम्बित पेंशन पावना का त्वरित निष्पादन करने का भी निदेश कृषि निदेशक द्वारा दिया गया।

सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि सभी पदाधिकारी कार्य संस्कृति में सुधार लावें तथा अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करें।

10

माप तौल के विभिन्न पदाधिकारियों/ निरीक्षक माप तौल के विभिन्न कियाकलाप की जानकरी प्राप्त की गई, जैसे पंपो एवं धर्मकांटा की संख्या कितनी है? इनका सत्यापन कब किया गया है? राजस्व लक्ष्य के विरूद्व कितनी राशि प्राप्ति हुई है? निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व राजस्व संकलन काफी कम होने के कारण निदेश दिया गया कि राजस्व संग्रहण में तेजी लाने हेतु क्षेत्रीय भ्रमण कर मोहरांकन करें, यूनिट जॉच करें, एल0पी0जी0 गैस सिलेंडर के माप की जॉच करें तथा सभी पंप हाउस एवं धर्मकांटा का भौतिक सत्यापन कर ससमय प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करें एवं ताकि हर हाल में निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

विभागीय सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि राजस्व वृद्वि हेतु संबंधित वाणिज्यकर कार्यालय से वैट के तहत भूगतान करने वाले व्यवसायियों की सूची प्राप्त कर माप तौल का सत्यापन करें। कृषि निदेशक द्वारा निदेश दिया कि माप तौल के संबंधित पदाधिकारी संयुक्त कृषि निदेशक के प्रमंडलीय बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

11 सभी जि0कृ0पदा0 को निदेश दिया गया कि जिन जिलों में A.C. बिल के अंतर्गत निकासी की गई है, उसके विरूद्व डी0सी बिल तैयार कर महालेखाकार, झारखंड को समर्पित करते हुए इसे 25.12.2009 तक अनिवार्य रूप से लम्बित सूची से हटाने जाने संबंधी कार्रवाई करेगें।

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

ह0/–
सचिव
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग
झारखंड, राँची।

ज्ञापांक 7033, दिनांक 29/12/09

प्रतिलिपि – कृषि निदेशक/ निदेशक, उद्यान/ निदेशक, समेति/ निदेशक, भूमि संरक्षण/ निदेशक, एन0एच0एम0/ कंट्रौलर, माप एवं तौल/ उप कृषि निदेशक, उद्यान/ उप कृषि निदेशक, पौधा संरक्षण झारखंड के सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सचिव
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग
झारखंड, राँची।

ज्ञापांक 7033, दिनांक 29/12/09

प्रतिलिपि – निदेशक, प्रसार शिक्षा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सचिव
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग
झारखंड, राँची।

ज्ञापांक 7033, दिनांक 29/12/09

प्रतिलिपि – जिला कृषि पदाधिकारी, धनबाद, बोकारो एवं गिरिडीह/ सहायक निदेशक सर्वे, हजारीबाग/ संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी, कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, धनबाद तथा गिरिडीह, प्रोग्रम कोर्डनेटर, के0वी0के0–जिला प्रक्षेत्र प्रबंधक, बलियापुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

कृषि निदेशक 26/12/09
झारखंड, राँची।

ज्ञापांक 7033, दिनांक 29/12/09

प्रतिलिपि – उपायुक्त/ उप विकास आयुक्त, धनबाद, बोकारो एवं गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक 26/12/09
झारखंड, राँची।